न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला नुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 436 सन 2018

अनवान :–

1. मदनलाल पुत्र टीकुराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. सन्तलाल पुत्र हरचंदराय जाति मोदी अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. मैनेजर भारतीय स्टेट बैक शाखा फेफाना

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री रविन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :–13.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्रं पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मोजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 89 / 86 के कुल 5.0600हैक वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि के प0न0 366 / 381(66) के किला न0 3 ,4 के उत्तर में 3–3 बिश्वा गै0मु0रास्ता स्वीकृत है जो काफी वर्षो से अनुपयोगी है और रास्ता मौके पर चालू नही है जिसके साथ प0न0 364 / 381 (66) के किला न0 13 ,14 के मध्य में नोहर से सिरसा की तारकोल की सडक बनी हुई है जिससे आवागमन हो रहा है परन्तु राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि के प0न0 366 / 381(66) के किला न0 3 ,4 मे उत्तर में 3–3 बिश्वा रास्ता दर्ज जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है इसलिये वाद गै0मु0 रास्ता की भूमि का मुमकिन दर्ज करवाकर अपने नाम खातेदारी दर्ज करवा पाने के अधिकारी है उक्त रास्ता की बजाय प0न0 364 / 381 (66) के किला न0 13 ,14 के मध्य नोहर से सिरसा की तारकोल सडक से लेकर प0न0 366 / 381(66) के किला न0 4 ,7 ,14 के पूर्व में 3–3 बिश्वा रास्ता स्वीकृत करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी पेराकार राज तहसीलदार राजस्व नोहर से जबाब चाहा गया तहसीलदार राजस्व नोहर ने अपने पत्रांक 339 दिनांक 23.01.2019 से मौका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई की रोही मोजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 89 / 86 के प0न0 366 / 381(66) किला न0 3 ,4 में 0.0759 हैक गै0मु0रास्ता दर्ज जो मौक पर बन्द है उक्त रास्ता अन्य खातेदार के खेत से प्रारम्भ होता है और आगे उक्त रास्ता पक्की सडक से जुडता है लेकिन राजस्व रिकार्ड मे पक्की सडक का अमलदरामद नही हुआ है प0न0 366 / 381(66) किला न0 13 ,14 के दक्षिण छोर पर नोहर सिरसा पक्की सड मौजूद है यानि प0न0 366 / 381(66) किला न0 4 ,7 ,14 प्रत्येक 0.025है रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो उक्ताकित रास्ता पक्की सडक से जुड जायेगा अत: चक 6 जेएसएन के प0न0 366 / 381(66) किला न0 3 ,4 में स्वीकृत शुद्वा रासता 0.0759हैक जो मोके पर बन्द है को निरस्त करने पर किसी खातेदार का हित प्रभावित नही होता है इसलिये उक्त रास्ता की बजाय किला न0 4 ,7 ,14 के पूर्वी दिशा में दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रत्येक में 0.025है रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है प्रस्तुत की गई रिपोर्ट शामिल मिसल की गई।

क्रमशः.........2

वकील वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत की गई मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता निरस्त/स्वीकृत किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया-परस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 89/86 के कुल 5.0600हैक वादी के नाम से दर्ज है जिसके प0न0 366/381(66) के किला न0 3 ,4 के उत्तर में 3–3 बिश्वा गै0मु0रास्ता स्वीकृत है जिसे निरस्त करवाकर प0न0 366/381(66) के किला न0 4 ,7, 14 के पूर्व में 3–3 बिश्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। तहसीलदार राजस्व नोहर की मौका रिपोर्ट के अनुसार रोही मोजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 89/86 के प0न0 366/381(66) किला न0 3 ,4 में 0.0759 हैक गै0मु0रास्ता दर्ज जो मौक पर बन्द है उक्त रास्ता अन्य खातेदार के खेत से प्रारम्भ होता है और आगे उक्त रास्ता पक्की सडक से जुडता है लेकिन राजस्व रिकार्ड में पक्की सडक का अमलदरामद नही हुआ है प0न0 366/381(66) किला न0 13 ,14 के दक्षिण छोर पर नोहर सिरसा पक्की सड मौजूद है यानि प0न0 366/381(66) किला न0 4 ,7 ,14 प्रत्येक 0.025है रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो उक्ताकित रास्ता पक्की सडक से जुड जायेगा अतः चक 6 जेएसएन के प0न0 366/381(66) किला न0 3 ,4 में स्वीकृत शुद्वा रासता 0.0759हैक जो मोके पर बन्द है को निरस्त करने पर किसी खातेदार का हित प्रभावित नही होता है इसलिये उक्त रास्ता की बजाय किला न0 4 ,7 ,14 के पूर्वी दिशा में दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रत्येक में 0.025है रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है एवं वादी तहसीलदार राजस्व नोहर की रिपोर्ट से सहमत है।

अतः वादी का वाद तहसीलदार राजस्व नोहर की मौका रिपोर्ट साक्ष्यों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 89/86 के प0न0 366/381(66) के किला न0 3 ,4 के उत्तर में 3–3 बिश्वा गै0मु0रास्ता दर्ज है जो मु0न0 किला न0 0/13 की 0.0759हैक गै0मु0 रास्ता को निरस्त किया जाकर मुमकिन भूमि धोषित कर प0न0 366/381(66) के किला न0 3 ,4 में शामिल किया जाकर वादी संख्या 2 के नाम बतौर खातेदारी दर्ज की जावे। रोही मौजा चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 89/86 के प0न0 364/381(66) के किला न0 14 के मध्य में बनी हुई नोहर से सिरसा की तारकोल की सडक के उत्तर दिशा से लेकर प0न0 366/381(66) के किला न0 4 ,7 ,14 की 0.14648हैक भूमि में पूर्व में 3-3 बिश्वा रास्ता दक्षिण से उत्तर स्वीकृत किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official